बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020 –5798 दिनांक 25.08.2021 द्वारा दिनांक 26.08.2021 से आगे दिनांक 25.09.2021 तक आंशिक संशोधनों के साथ निम्नवत प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है।

1. **दुकान एवं प्रतिष्ठान :–**
   सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगें।
   दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तो के साथ किया जाएगा :–
   - **दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।**
   - दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
   - दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
   - दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
   - सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को अपने यहॉ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।
     उपर्युक्त शर्तो का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2. **शिक्षण संस्थान :–**
   अपवाद :–
   (क) सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय–**पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिये सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।**
   (ख) ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा।
   (ग) सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।
   (घ) कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति अनुमान्य होगा।
   (ङ) राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डो एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाऍ कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी।
   (च) स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र–छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेगें।
   (छ) सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहॉ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।
   (ज) शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जायेगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सकें।
3. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा।
4. विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगें।

5. सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगें। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
6. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
7. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल–कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। कुण्ड में स्नान हेतु आने वाले व्यक्तियों की रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाएगी। इस जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हों। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा।
8. सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगें। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
9. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
10. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगें। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चिम करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
11. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
12. देश के अन्य राज्यों से अधिक संख्या में कोरोना के मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है अथवा डेल्टा प्लस वैरिएण्ट के मामले सामने आ रहे हैं, उन राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऐसे राज्यों से वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाएगी। इस जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगें, जिनके पास विगत 72 घंटों का आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो।

निम्नांकित प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे –

13. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर–सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुल सकेंगें। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
14. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। किन्तु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
15. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
16. कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा।

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आदेश निम्नवत् है:–

I. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि माईकिंग के माध्यम से **गृह विभाग** द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करायेंगें।

II. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि वे कार्यालय/सार्वजनिक/भीड़–भाड़ स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर समय–समय पर सेनेटाईजेशन कार्य कराते रहेंगें।

III. **जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल** सभी विद्यालयों में समुचित साफ–सफाई एवं सेनिटाईजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

IV. **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल एवं नगर पंचायत, कुर्था** को निदेशित किया जाता है कि नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित सभी दुकान/प्रतिष्ठानों के संचालक/दुकानदारों से अनुरोध कर कोविड वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करेंगें।

V. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायेंगें।

VI. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर स्थिति से अवगत हो लेंगें, यदि उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस हो तो इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित करेंगें ताकि जिला स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।

VII. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल** सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल–कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन हेतु अनुमति कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजन हेतु अनुमति प्रदान करेंगें।

VIII. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं उल्लघंन की स्थिति में **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत** कार्रवाई करेंगें।

IX. अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल, एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला भीड़–भाड़ वाले स्थलों यथा– सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

X. **जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि इस आशय का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी प्रेस/मीडिया/सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रकाशित कराते हुए उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

XI. **उप विकास आयुक्त, अरवल** इस आदेश के **वरीय प्रभार में रहेंगें। जिनका दायित्व होगा कि वे निर्गत दिशा–निर्देश का अनुश्रवण करेंगें तथा अनुपालन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।**

XII. **जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06337–229494, 228984 एवं 228008 है। जिला नियंत्रण कक्ष का व्हाटसएप संवाद संख्या 8235230817 है। यदि कहीं भी इसका उल्लंघन पाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति साक्ष्य के साथ इस नम्बर पर शिकायत कर सकते है। प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष इस तरह के किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो इसका तुरंत संज्ञान लेकर अनुपालन करायेंगें।**

XIII. **पुलिस अधीक्षक, अरवल** उपरोक्त आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निदेशित करेंगें।

25/8/2021

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 471/गो0 अरवल दिनांक 25/08/2021

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला नजारत उप समाहर्ता, अरवल/जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा/ सुश्री प्रियंका कुमारी, वरीय उप समाहर्ता, अरवल/जिला पंचायती राज पदा0/जिला जन सम्पर्क पदा0/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद्/नगर प्रबंधक/अनुमंडल पदा0 एवं अनुमंडल पुलिस पदा0, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2021
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

Annexure II

NATIONAL DIRECTIVES FOR COVID-19 MANAGEMENT

1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.

2. **Social distancing:** Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet (2 gaz ki door!) in public places. Shops will ensure physical distancing among customers.

3. **Spitting in public places** will be punishable with fine, as may be prescribed by the State! UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations. Additional directives for Work Places

4. **Work from home (WfII):** As far as possible the practice of Will should be followed.

5. **Staggering of work!** business hours will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.

6. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash or sanitizer will be made at all entry points and of hand wash or sanitizer at exit points and common areas.

7. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured, including between shifts.

8. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers and other staff.